OFFICE OF THE PRINCIPAL SHASKIYA MAHAVIDYALAYA, RAU
DIST. INDORE - 453331, MADHYA PRADESH
Phone No. : 0731-2857070, 2857066
E—Mail Add.:- principalrau@yahoo.com; hegcrauind@mp.gov.in

Date : 01/10/2021

Order about Project Work / Internship

As per order No. 189/11/आ.उ.शि./2011 Bhopal dated 06-09-2011, The Department of Higher Education of MP –

1. Project work / internship is compulsory for each regular student of every faculty like Arts, Commerce and Science. It is conducted in VI semester and treated as an extra paper of 100 marks of 60 hours duration.
2. The objective of the project work/ internship is to develop job oriented skills in the students along with their subject knowledge.
3. Selection of the subject of project work/ internship depends on the availability of facilities in the college and area like Data entry operator, Teaching profession, Photocopy centres, Everfresh shop, DTP work, Beauty parlour, Librarian, Sport Officer, Accountant, Administrative officer etc.
4. According to the Department of Higher Education MP as order no. 742/251/ सीसी/17-अड़तीस Bhopal dated 30-05-2017 stated that the semester system in UG shall be replaced with the annual system and project work/ Internship paper would be cancelled. Due to this reason there is no project work/ internship in the session of 2019-20.

Enclosed : 1. Order No. – 189/11/ आ.उ.शि /2011 Bhopal dated 06-09-2011.

2. Order No. - 742/251/ सीसी/17- अड़तीस Bhopal dated 30-05-2017.

Principal
Govt. College Rau,
Indore

PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAU
INDORE (M.P.)

कार्यालय आयुक्त, उच्चशिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल -- 462004

क्रमांक 189 / 11 / आउशि / 2011 भोपाल दिनांक 6-9-2011

प्रति,

1.3.3 / 3 Order for Project work

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय :- सत्र 2011-12 के लिये संशोधित कैलेण्डर और सेमेस्टर पद्धति में संशोधन संबंधी दिशा-निर्देश।

राज्य शासन एतद् द्वारा, महामहिम कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन पश्चात सत्र 2011-12 के लिए पूर्व में जारी किये गये कैलेण्डर एवं वर्तमान सत्र में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए सी.सी.ई. (सतत् समग्र मूल्यांकन) और परियोजना कार्य / इन्टर्नशिप तथा ए.टी.के.टी के प्रावधानों में संशोधन कर निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(क) सत्र 2011-12 के लिए संशोधित कैलेण्डर -

(1) स्नातक प्रथम सेमेस्टर - शासन द्वारा सत्र 2011-12 के लिए पूर्व में जारी अकादमिक केलेण्डर के अनुसार संचालित होगा।

(2) सत्र 2011-12 (स्नातक III एवं V और स्नातकोतर I एवं III सेमेस्टर) के लिए संशोधित कैलेण्डर :-

अकादमिक गतिविधि	निर्धारित तिथि / अवधि
कक्षाएं प्रारंभ	विश्वविद्यालय की द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ सेमेस्टरों की परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद।
अन्य गतिविधियां	सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर, 2011
परीक्षा फार्म भरना	01 दिसम्बर से 05 दिसम्बर, 2011 तक। 07 दिसम्बर से 10 दिसम्बर, 2011 तक विलम्ब शुल्क सहित।
परीक्षा संचालन	26 दिसम्बर 2011 से 31 जनवरी 2012 तक।
परीक्षापरिणामों की घोषणा	28 फरवरी 2012 तक।

ATTESTED
PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAU
INDORE (M.P.)

(ii) यह शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। सी.सी.ई. के लिये पूर्व प्रचलित किसी भी विधा का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन प्रत्येक मूल्यांकन विद्यार्थियों को दिखा कर उनसे उस पर 'संतुष्ट होने' की दशा में टीप प्राप्त करने के बाद हस्ताक्षर लेना होगा।

(iv) पारदर्शिता के लिए सी.सी.ई. के प्रामाणिक दस्तावेजों को कम से कम 6 माह तक रखा जाना आवश्यक होगा।

(v) प्रत्येक महाविद्यालय में गठित सेमेस्टर प्रकोष्ठ सी.सी.ई. संबंधी–कार्य को व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। यह प्रकोष्ठ मूल्यांकन के अंकों को कक्षावार एकजाई कर परीक्षणोपरांत हस्ताक्षर के साथ उसे विश्वविद्यालय को समय सीमा में प्रेषित करेगा।

(vi) सभी विषयों के प्रायोगिक प्रश्नपत्रों (जहाँ लागू हो) में सी.सी.ई. की व्यवस्था नहीं होगी।

(ग) सत्र 2011–12 में स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये परियोजना/इंटर्नशिप कार्य संबंधी निर्देश –

इसी सत्र से इस संबंध में तैयारी आरंभ करने के निर्देश दिये जाते हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर उद्यमिता से जुड़े क्षेत्रों का सर्वे एवं प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप से संबंधित कार्यो को एक पंजी में सूचीबद्ध करना प्रमुख है, ताकि अंतिम सेमेस्टर में जब प्रवेशित विद्यार्थी पहुँचे जहाँ उन्हें प्रोजेक्ट कार्य/इंटर्नशिप करना है, तो उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। ऐसा होने पर ही विद्यार्थियों को इस नवाचारी योजना का वास्तविक लाभ मिल सकेगा। सत्र 2011–12 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये परियोजना कार्य/इंटर्नशिप में निम्नवत संशोधित निर्देश दिये जाते हैं :–

(1) Project work on UG leval conducted only on VI th sem

(1) स्नातक स्तर पर प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्य केवल अंतिम यानि छठवें सेमेस्टर में ही होगा।

(2) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्य केवल अंतिम यानि चौथे सेमेस्टर में ही होगा।

(3) विद्यार्थियों को चयन में मदद के लिये प्राचार्य अपने शिक्षक साथियों की मदद से प्रोजेक्ट एवं इंटर्नशिप से संबंधित कार्यो को एक पंजी में सूचीबद्ध करेंगे।

(4) प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्य को एक प्रश्नपत्र की तरह माना जाएगा और वह 100 अंकों का होगा। इंटर्नशिप की अवधि 60 घंटों की होगी।

(5) विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्य नियमित अध्ययन के साथ–साथ अतिरिक्त समय में करना होगा।

(4) Project work / Internship is treated like a paper of 100marks whose duration will be 60hrs

(5) Project work / Internship Completed by student with their regular teeching.

ATTESTED

PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAU
INDORE (M.P.)

(6) प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों में कौशल विकास हेतु आवश्यक तकनीक से परिचित कराना है। इस हेतु आवश्यक है कि विद्यार्थी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रख कर ही प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्यों का चयन करें। परियोजना निर्देशक शिक्षक स्थानीय उद्यमिता से जुड़े क्षेत्रों का सर्वे कर इस हेतु विद्यार्थियों का समुचित मार्गदर्शन करेंगें।

(7) महाविद्यालय में कई ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पुस्तकालय का रख-रखाव; महाविद्यालय में डाटा-एंट्री संबंधी कार्य; डी.टी.पी. (डेस्क टॉप पब्लिशिंग) से जुड़े विभिन्न कार्य; फोटो कॉपी आपरेटर के कार्य; वृक्षारोपण हेतु पौधों को तैयार करना; विद्यार्थियों की सुविधा के लिये स्टेशनरी काउंटर; चाय-बिस्किट आदि के अल्प-कालीन विक्रय केंद्र, आदि। इस तरह के कार्यों को प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप से इस तरह जोड़ा जाए कि विद्यार्थियों को अपने विषय से संबंधित व्यवहारिक लाभ भी मिल सके और उनमें रोजगारोन्मुखी कौशल भी विकसित हो सके।

(घ) सत्र 2011-12 में स्नातक पंचम और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिये परियोजना/इंटर्नशिप कार्य संबंधी निर्देश

(1) विद्यार्थियों को चयन में मदद के लिये प्राचार्य अपने शिक्षक साथियों की मदद से प्रोजेक्ट एवं इंटर्नशिप से संबंधित कार्यो को एक पंजी में सूचीबद्ध करेंगें।

(2) विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्य नियमित अध्ययन के साथ-साथ अतिरिक्त समय में करना होगा।

(3) प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों में कौशल विकास हेतु आवश्यक तकनीक से परिचित कराना है। इसके लिये आवश्यक है कि विद्यार्थी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रख कर ही प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप संबंधी कार्यों का चयन करें। परियोजना निर्देशक शिक्षक स्थानीय उद्यमिता से जुड़े क्षेत्रों का सर्वे कर इस हेतु विद्यार्थियों का समुचित मार्गदर्शन करेंगें।

(4) महाविद्यालय में कई ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पुस्तकालय का रख-रखाव; महाविद्यालय में डाटा-एंट्री संबंधी कार्य; डी.टी.पी. से जुड़े विभिन्न कार्य; फोटो-कॉपी आपरेटर के कार्य; वृक्षारोपण हेतु पौधों को तैयार करना; विद्यार्थियों की सुविधा के लिये स्टेशनरी काउंटर; चाय-बिस्किट आदि के अल्प-कालीन विक्रय केंद्र, आदि। प्राचार्य अपने शिक्षक और अधिकारियों से चर्चा कर महाविद्यालयीन-स्तर पर सम्पन्न की जा सकने वाली अन्य उपयोगी परियोजनाओं पर विचार कर शामिल कर सकते हैं।

ATTESTED
PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAU
INDORE (M.P.)

2017 - 18

मध्यप्रदेश शासन 1.1/4.
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

Academic Calendar of The Deptt. of Higher Education M.P. Session 2017 - 18

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 30-5-17

कमांक 742/251/सीसी/17-अडतीस – माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरांत राज्य शासन द्वारा सत्र 2017-18 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत तथा अकादमिक कैलेण्डर जारी किये जाते है ।

1.3.3/3 order for Admission process in UG Courses

30.5.17
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव,
म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
भोपाल, दिनांक 30-5-17

पृ. कमांक 743/251/सीसी/17-अडतीस

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. अपर सचिव, मा.राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
3. निज सहायक, मा.मंत्री जी /राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
6. कुलसचिव, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर/सागर।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
10. राज्य सूचना अधिकारी(एनआईसी) विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
11. प्रभारी, आई टी. सेल, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल। कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न- मार्गदर्शी सिद्धान्त (प्रवेश संबंधी)

30.5.17
अवर सचिव,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

ATTESTED

PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAU
INDORE (M.P.)

jan 2016

:7।१

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल–462004
मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त
(सत्र 2017–2018)

1. प्रयुक्ति :

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक–6 एवं 7 के प्रावधानो के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठयक्रमों में लागू नहीं होंगे।

2. प्रवेश प्रक्रिया : 1.3.3 / 3.

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2017–18 हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः करवाना होगा। कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। इन विद्यार्थियों को अंतिम चरण में स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को अपने विषय–समूह (गणित/जीव विज्ञान/कृषि/वाणिज्य/कला/गृह–विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अन्तर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। विद्यार्थी को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे। इस प्रक्रिया की जानकारी हेतु www.epravesh.nic.in पोर्टल उपलब्ध है। आवेदक अधिकतम 09 (नौ) महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का चयन पंजीकरण के दौरान कर सकेगा। पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारिणी अनुसार प्रत्येक एक मुश्त निम्नानुसार देय होगाः–

1. प्रथम चरण में पंजीयन हेतु रू. 100/–
2. द्वितीय चरण में पंजीयन हेतु रू. 250/– विलंब शुल्क सहित।
3. तृतीय चरण में पंजीयन हेतु रू. 500/– विलंब शुल्क सहित।

ATTESTED
PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAU
INDORE (M.P.)

सत्यापन कार्य ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार सहायता केंद्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात कोई भी आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नही कर सकेगा। द्वितीय एवं तृतीय चरण में पजीयन कराने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विचार किया जावेगा।

आवेदक एक ही बार पंजीयन करायें। एक से अधिक पंजीयन पाये जाने पर केवल प्रथम पंजीयन ही मान्य होगा। पंजीयन के पश्चात् आवेदक प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जाँच कर पोर्टल पर आवश्यक सुधार करें। सत्यापन के पश्चात् किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। पंजीयन प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

Admission Process

The Adimmiss for session 2017-18 in Private and Govt. College which was regulate by the deptt. of Higher Education MP. in Yearly Pattern for UG Course.

1.1 / 4 Highlighted Section of Academic Calender Provided by The Deptt. of Higher Education M.P. Session 2017-18

सत्र 2017–18 का प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर

(वार्षिक पद्धति) & 1.3.3 / 3

स. क्र	विवरण	तिथि
1	प्रवेश प्रारंभ	25.05.2017
2	शिक्षण कार्य प्रारंभ	01.07.2017
3	स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रवेश बन्द	30.07.2017
4	संकाय परिवर्तन	08.08.2017 तक
	(II) छात्रसंघ गठन / सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद एवं अन्य महाविद्यालयीन गतिविधियाँ	
1	छात्रसंघ गठन	अगस्त / सितम्बर 2017
2	विश्वविद्यालयीन / महाविद्यालयीन / जिला / संभाग / राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाएं	ये सभी गतिविधियां माह अक्टूबर 2017 तक पूर्ण कर ली जाएं।
3	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. इत्यादि गतिविधियाँ	
4	वार्षिक स्नेह सम्मेलन / वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन	फरवरी द्वितीय सप्ताह 2018(अधिकतम 4 दिवस)
	(III) आंतरिक मूल्यांकन / वार्षिक परीक्षाएँ	
1	तिमाही आंतरिक मूल्यांकन	सितम्बर अंतिम सप्ताह 2017
2	छैमाही आंतरिक मूल्यांकन	दिसम्बर अंतिम सप्ताह 2017
3	सैद्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा	15 फरवरी 2018
4	सभी स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि	05 मार्च से 21 मार्च 2018
5	परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	22 मार्च से 29 मार्च 2018
6	वार्षिक परीक्षा प्रारंभ	30 मार्च से 15 मई 2018
7	सभी परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	15 जून 2018
	(IV) अवकाश	
1	दीपावली (पॉच दिवस)	17.10.2017 से 21.10.2017
2	शीतकालीन अवकाश	15.12.2017 से 23.12.2017 (कुल 08 कार्य दिवस)
3	ग्रीष्म अवकाश	28.05.2018 से 15.06.2018 (कुल 17 कार्य दिवस)

ATTESTED

PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAU
INDORE (M.P.)

1.1 / 4. & 1.3.3 / 3. Highlighted Section of Academic Calendar Provided by The Deptt. of Higher Education M.P. Session 2017-18

अकादमिक कैलेंडर सत्र 2017–18
(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए प्रभावशील)

अकादमिक कार्य	तृतीय/पंचम सेमेस्टर	चतुर्थ/षष्ठ सेमेस्टर
आरंभिक कक्षाएं/शून्य कक्षाएं/स्वाट विश्लेषण	01 जुलाई से 08 जुलाई 2017 (07 कार्य दिवस)	26 दिसम्बर 2017 (01 कार्य दिवस)
शैक्षणिक एवं सतत् समग्र मूल्यांकन कार्य	10 जुलाई से 02 नवम्बर, 2017 (93 कार्य दिवस)	27 दिसम्बर 2017 से 18 अप्रैल 2018 (92 कार्य दिवस)
सी.सी. ई. कार्य	सितम्बर तृतीय सप्ताह	मार्च द्वितीय सप्ताह
प्रायोगिक परीक्षाऐं (स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाएं)	23 अक्टूबर से 09 नवम्बर 2017 के मध्य	02 अप्रैल से 18 अप्रैल 2018 के मध्य
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	02 नवम्बर से 09 नवम्बर 2017 (कुल 07 कार्य दिवस)	19 अप्रैल से 21 अप्रैल 2018 (कुल 03 दिवस)
सेमेस्टर एवं एटीकेटी परीक्षा	10 नवम्बर से 14 दिसम्बर 2017	23 अप्रैल से 26 मई 2018
परीक्षा परिणामों की घोषणा	31 दिसम्बर 2017 तक	15 जून 2018 तक
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) विद्यार्थियों के लिए	15 दिसम्बर से 23 दिसम्बर 2017 (09 दिवस)	28 मई से 30 जून 2018 (34 दिवस)
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) शिक्षकों के लिए	15 दिसम्बर से 23 दिसम्बर 2017 (09 दिवस)	28 मई से 15 जून 2018 (19 दिवस)

- छात्रसंघ गठन : अगस्त/सितम्बर 2017
- खेलकूद/युवा उत्सव/अन्य गतिविधियॉं (एक सप्ताह) : माह अक्टूबर 2017
- दीपावली अवकाश : 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2017 तक
- वार्षिकोत्सव/पुरस्कार वितरण, वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन : फरवरी द्वितीय सप्ताह 2018 तक (अधिकतम 4 दिवस)

टीप :–

(1) अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/विवि स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके।

(2) स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के अतिरिक्त अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत (2017–18) में उल्लिखित प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाये ।

(3) सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) के दिवसों में एनएसएस/एनसीसी शिविरों के आयोजन को प्राथमिकता प्रदान की जावे ताकि कार्य दिवसों का मानक लक्ष्य यथावत बना रहे। सक्षम अनुमति प्राप्त कर अकादमिक पर्यटन/टूर सेमीनार/कार्यशाला/संगोष्ठी/प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसी दौरान आयोजित किये जाये ।

(4) स्नेह सम्मेलन वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण एवं वार्षिक–पत्रिका का प्रकाशन तथा विमोचन फरवरी द्वितीय सप्ताह 2018 के तक कर लिया जाये ।

* महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सेमेस्टर अंतराल में आवश्यकतानुसार शिक्षकों को रोका जा सकेगा।

ATTESTED

PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAU
INDORE (M.P.)